

## फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद की बाईसवीं बोर्ड बैठक दिनांक

**09.12.2016 के प्रस्ताव**

मद संख्या	विषय	आख्या
06	<p>उ0प्र0 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2011) में संशोधन 2016 का अनुमोदन उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2011) शासनादेश सं0 462 / 8-3-16-34विविध / 08, दिनांक 17.06.2016 के अनुसार भवन उपविधि में संशोधन-2016 को अंगीकार किये अनुमत्य एफ0ए0आर0 के 'रेशनलाइजेशन' ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को प्रोत्साहित करने, रुफ टॉप फोटोवोल्टाइक पावर प्लाट की स्थापना करने, आवासीय भूखण्डों में बहु-आवासीय इकाईयों के निर्माण सम्बन्धी प्रविधान सम्मिलित करने तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि की अन्य विसंगतियों का निराकरण करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-57 के अन्तर्गत संशोधन करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया है। जिसे प्राधिकरण द्वारा अंगीकार किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</p>	

साचेद्य  
नियोगिकों विकास प्राधिकरण  
फिरोजाबाद

फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण  
फिरोजाबाद

फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण

की

बाईसवीं

बोर्ड बैठक

दिनांक 09.12.2016

का कार्यवृत्त

राजेश प्रकाश

आई.ए.एस.

जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष

फिरोजाबाद

चन्द्र कान्त

आई.ए.एस.

आयुक्त / अध्यक्ष

आगरा मण्डल, आगरा

# फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद

आयुक्त/अध्यक्ष आगरा मण्डल, आगरा की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय, लघु सभागार आगरा में  
आयोजित फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण की बाईसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.12.2016 में  
उपस्थिति विवरण

01	श्री चन्द्र कान्त	आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा	अध्यक्ष
02	श्री राजेश प्रकाश	जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, फिरो-शिको-विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद	उपाध्यक्ष
03	श्री सुरेन्द्र बहादुर यादव	नगर मजिस्ट्रेट/सचिव, फिरो-शिको-विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद।	सचिव
04	श्री दिलीप कुमार	अपर निदेशक, वित्त/कोषागार आगरा मण्डल, आगरा।	सदस्य
	अग्रवाल		
05	श्री अनूप श्रीवास्तव	सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, आगरा	सदस्य
06	श्री रामऔतार रमन	नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद	सदस्य
07	श्री राकेश कुमार	अधिशासी अभियन्ता, प्रतिनिधि अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, आगरा	सदस्य
08	श्री एस0पी0 सिंह	सहायक अभियन्ता, प्रतिनिधि अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी।	सदस्य
09	श्री एन0एम0 चौधरी	अधिशासी अधिकारी, प्रतिनिधि अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद।	सदस्य
10	श्री आदर्श यादव	सदस्य, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, (नामित)	सदस्य
11	श्रीमती ऊषा कुशवाहा	सदस्य, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, (नामित)	सदस्य

**फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद  
की बाईसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.12.2016 का कार्यवृत्त**

जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद द्वारा आयुक्त / अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी सदस्यों का स्वागत करते हुये आयुक्त / अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बाईसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.12.2016 की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बोर्ड में रखे गये प्रस्ताव व निर्णय निम्नवत हैं:-

**मद संख्या-1:-फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद की इक्कीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.05.2016 की कार्यवाही की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या।**

प्राधिकरण की इक्कीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.05.2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार की गयी कार्यवाही की पुष्टि प्राधिकरण बोर्ड द्वारा की गयी।

**मद संख्या-2:-फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय/कलैकट्रेट एवं राज्य सरकार के अन्य कार्यालयों के साथ-साथ वहाँ स्थित राजकीय स्टाफ क्वार्टर के क्षेत्र को “ सिविल लाइन ” का नाम दिये जाने के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या-3:-शासन द्वारा अधिसूचित विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार के अन्तर्गत टूण्डला की तरफ व सिरसागंज की तरफ बढ़े हुये विकास क्षेत्र की महायोजना तैयार कराये जाने हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ को एजेन्सी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया कि नगर पालिका, टूण्डला एवं नगर पंचायत सिरसागंज में मानचित्र स्वीकृत करते समय जब तक सीमा विस्तार की महायोजना तैयार नहीं होती है, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत भू-उपयोग के अनुसार गुण-दोष को देखते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जाये तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत के बाहरी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र मानते हुए आदर्श जोनिंग रेग्लेशन में कृषि क्षेत्र की अनुमन्य क्रियाओं के अनुसार ही मानचित्र स्वीकृत किये जाये।

**मद संख्या-4:-राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर ग्राम-मौड़ा फिरोजाबाद से मक्खनपुर तक(न्यू फिरोजाबाद बाईपास के End Point तक) महायोजना सड़क की चौड़ाई 64.00मी0 से 55.00मी0 किये जाने के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया गया।

**मद संख्या-5:- फिरोजाबाद-शिकोहाबाद महायोजना-2031 को सजरा प्लान पर सुपर इम्पोज किये जाने हेतु कार्य प्राइवेट एजेन्सी से टेप्डर प्रक्रिया द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-6 :- उ0प्र0 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 ( यथा संशोधित-2011) में संशोधन-2016 को अंगीकार किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या-7 :- प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत लागू की जाने वाली औद्यानिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु विभिन्न छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0-1555/8-3-16- 126 विविध/16, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, लखनऊ : दिनांक 23 नवम्बर 2016 को अंगीकार करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत ।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या-8 :- विभिन्न प्रकृति के भवनों के मानचित्र स्वीकृति में विकास शुल्क लिये जाने हेतु उ0प्र0 शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 द्वारा जारी शासनादेश सं0 1811/8-3-14-211विविध/13, दिनांक 17.11.2014 के अनुसार अद्यतन कॉस्ट इण्डैक्स के साथ अंगीकार किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत ।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या-9 :- अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

अन्त में अध्यक्ष/आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुये बैठक समाप्त की गयी ।

राजेश प्रकाश

( राजेश प्रकाश )

आई0ए0एस0

जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष

फिरो0-शिको0 विकास प्राधिकरण

फिरोजाबाद ।

अनुमोदित

चन्द्र कान्त

आई0ए0एस0

आयुक्त/अध्यक्ष

आगरा मण्डल, आगरा ।

(चन्द्र कान्त)

आयुक्त

आगरा मण्डल, आगरा

( 2 / 2 )

## फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,  
फिरो-शिको विकास प्राधिकरण,  
फिरोजाबाद।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक  
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,  
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक ३३६

/वि०प्रा०/ 17-18

दिनांक ४९।, 2017

विषय:- शासन द्वारा जारी आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 यथा  
संशोधित 2011 एवं 2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्र सं० 1411/व०नि०(4)/भवन  
उपविधि/2017-18 दिनांक 08.09.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके  
क्रम में अवगत कराना है कि फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद  
के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 यथा  
संशोधित 2011 एवं 2016 की उपविधि व उससे सम्बन्धित प्राप्त संशोधित शासनादेशों  
को बोर्ड बैठक से अनुमोदन उपरान्त यथा रूप में अंगीकृत किया गया है। वांछित  
सूचना निर्धारित प्रारूप पर संलग्न पर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,  
फिरो-शिको विकास प्राधिकरण,  
फिरोजाबाद।